जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

झंकार टॉकिज के पीछे, सिविल लाईन वार्ड क्रं. 7, जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)

वेबसाइट :www.dccbjagdalpur.com फोन : 07782–228156

2025 International Year of Cooperatives

क्रमांक / विपणन / निविदा / 188 / 2025–26 / जगदलपुर, दिनांक 24.04.25

रासायनिक खाद परिवहन हेतु तृतीय निविदा आमंत्रण

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर के जिला बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर, सुकमा एवं बीजापुर (शाखा जगदलपुर, चारामा, कांकेर, अंतागढ़, लखनपुरी एवं जैविक जिला दंतेवाड़ा की शाखाओं को छोडकर) में स्थित विपणन संघ के खाद गोदामों से समितियों के खाद गोदामों तक रासायनिक खाद का परिवहन किये जाने हेतु वर्ष 2025–26 हेतु (दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026) तक के लिये सील बन्द लिफाफा में शाखावार तृतीय निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 02.05.2025 समय अपरान्ह 02.00 बजे दिन तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में रजिस्ट्री डाक, स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा। तृतीय निविदा दिनांक 02.05.2025 को समय अपरान्ह 03:00 बजे दिन के प्रधान कार्यालय जगदलपुर में कमेटी के समक्ष खोला जावेगा।

निविदा संबंधि विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं नियम/शर्तें बैंक की वेबसाईट **https://www.dccbjagdalpur.com** पर देखी जा सकती है या बैंक के नजदीकी शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक/विपणन/निविदा/ 188 /2025–26/ जगदलपुर, दिनांक 24/04/2025

प्रतिलिपि :–

1. संपादक महोदय, नवभारत एवं दण्डकारण्य, दैनिक समाचार पत्र, जगदलपुर ।
2. नोडल अधिकारी, सी.बी.एस./स्थापना कक्ष, प्रधान कार्यालय, जगदलपुर को सूचनार्थ एवं बैंक की बेवसाईट में उक्त विज्ञापन, निविदा प्रपत्र, विवरण एवं नियम/शर्ते अपलोड कराने बाबत संप्रेषित।
3. शाखा प्रबंधक,(समस्त), सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर
झंकार टॉकिज के पीछे, केवरामुण्डा वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर(छत्तीसगढ़)
Website:www.dccbjagdalpur.com फोन नः 07782-227960/ 291352
Email :marketing@jskbjdp.com

International Year of Cooperatives 2025

क्रमांक / विपणन / निविदा / 189 / 2025–26 / जगदलपुर, दिनांक 24.04.25

//रासायनिक खाद परिवहन हेतु तृतीय निविदा आमंत्रण//

बैंक कार्यक्षेत्र के जिलों–बस्तर कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर, सुकमा एवं बीजापुर (शाखा जगदलपुर, चारामा, कांकेर, अंतागढ़, लखनपुरी एवं जैविक जिला दंतेवाड़ा की शाखाओं को छोडकर) के अंतर्गत शाखा से संबद्ध लैम्पस द्वारा संचालित खाद गोदामों में दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक अवधि के लिए छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के खाद गोदामों/केन्द्रों से रासायनिक खाद भण्डारण के परिवहन हेतु सील बंद तृतीय निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

सहकारी समितियों के खाद वितरण केन्द्रों एवं विपणन संघ के गोदामों की जानकारी तथा दूरी, बैंक की शाखा से कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है। निविदा फार्म बैंक के संबंधित शाखा में 1500.00 रुपये (अक्षरी एक हजार पाँच सौ रुपये मात्र) नगदी पुर्जा के माध्यम से जमा कर, निविदा फार्म शाखाओं से प्राप्त कर–फार्म पूर्ण भर कर बंद लिफाफा में बैंक मुख्यालय जगदलपुर, में दिनांक 21.04.2025 को अपरान्ह 02.00 बजे तक जमा किया जा सकेगा जिसे दिनांक 02.05.2025 को बैंक प्रधान कार्यालय मुख्यालय जगदलपुर में अपरान्ह 03:00 बजे खोला जावेगा।

परिवहनकर्ताओं को प्रत्येक निविदा हेतु राशि रु.2,50,000.00 (अक्षरी– दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का एफ.डी.आर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के किसी भी शाखा का जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के पक्ष में देय होगा, निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदाकार के पास स्वयं के नाम से दो वाहन (ट्रक) होना अनिवार्य है।

नियम एवं शर्तें :–

1- शाखा से निविदा फार्म क्रय किये गये प्रमाणक स्वरुप नगदी पुर्जा की रसीद निविदा फार्म के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें। बिना रसीद के फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा। प्रत्येक निविदा फार्म हेतु रसीद पृथक–पृथक होनी चाहिये।
2- निविदा की शर्तों का अवलोकन शाखा कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
3- निविदा फार्म में अधिकृत निविदाकार के निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
4- संबंधित शाखा से समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त कर, निविदा फार्म पूर्ण करें।
5- निविदा में प्रस्तुत की जाने वाली दरों में किसी भी प्रकार से कांट–छांट नहीं किया जावे एवं निविदा फार्म में कांट–छांट अंकित दरों पर विचार नहीं किया जावेगा।
6- निविदा फार्म में निविदाकार द्वारा दी जाने वाली दरें निविदा प्रपत्र में दिये गए प्रारुप अनुसार होनी चाहिए। सभी दूरियों हेतु दरें पृथक–पृथक दर्शाए गए स्थान पर अंको एवं शब्दों में अंकितकी जावे।
7- निविदा (टेन्डर) स्वीकृत/अस्वीकृत/निगोसियेशन करने का पूरा अधिकार बैंक परिवहन कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
8- निविदा फार्म में दिये गये दूरियों के विवरण में यदि किसी स्लेब में परिवहन कार्य नहीं है, तो भी उस स्लेब में भी दरों का विवरण अनिवार्यतः अंकित किया जावे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
जगदलपुर

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

झंकार टॉकिज के पीछे, केवरामुण्डा वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर(छत्तीसगढ़)

Website:www.dccbjagdalpur.com फोन नः **07782-227960/ 291352**

Email :marketing@jskbjdp.com

International Year of Cooperatives

क्रमांक / विपणन / निविदा / 190 / 2025–26 / जगदलपुर, दिनांक 24.04.25

प्रति,

शाखा प्रबंधक
समस्त शाखाएं
जिला बस्तर कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर, सुकमा एवं बीजापुर (शाखा जगदलपुर, चारामा, कांकेर, अंतागढ़, लखनपुरी एवं जैविक जिला दंतेवाड़ा की शाखाओं को छोडकर)

विषय :- वर्ष 2025-26 में खाद परिवहन कराने बाबत् तृतीय निविदा के संबंध में ।

-00-

वर्ष 2025-26 हेतु खाद परिवहन कराने बाबत् दैनिक समाचार पत्र नवभारत एवं दण्डकारण्य में मुख्य कार्यालय, जगदलपुर द्वारा तृतीय निविदा आमंत्रित किया गया है। निविदा फार्म शाखा कार्यालय में 1500.00 रुपये (अक्षरी एक हजार पाँच सौ रूपये मात्र) जमा कर, दिनांक 02-05-2025 समय अपरान्ह 02.00 बजे तक बैंक मुख्यालय जगदलपुर में जमा करने हेतु समय निर्धारित किया है । निविदा फार्म 5-5 प्रतियों में संलग्न कर भेजा जा रहा है। फार्म जारी करने के पूर्व शाखा की गोल सील में शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर अनिवार्य है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि निविदाकर्ता द्वारा 1500.00 रुपये (अक्षरी एक हजार पाँच सौ रूपये मात्र) नगदी पूर्जा के माध्यम से जमा करने के पश्चात् निर्धारित दिनांक एवं समय तक निविदा फार्म उपलब्ध करावें ।

संलग्न :-निविदा फार्म/शर्त एवं अनुबंध 5 प्रतियों में

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
जगदलपुर

// तृतीय परिवहन निविदा हेतु आवेदन पत्र //
खाद

निविदाकार की नवीनतम फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
जगदलपुर |

विषया - वर्ष 2025-26 में अवधि 01.04.2025 से 31.03.2026 रासायनिक खाद के परिवहन हेतु तृतीय निविदा |

महोदय,

मैं मेसर्स..निवासी..का हूँ | मैं खाद का व्यवसायी नहीं हूँ।मेरे पास स्वयं के नाम पर निम्नानुसार वाहन उपलब्ध है:-

वाहन का नाम (1) वाहन नंबर...ट्रक...

(2) वाहन नंबर...ट्रक...

उपरोक्त वाहनों से बैंक की शाखा..से संबद्ध समितियों केखाद गोदामों /वितरण केन्द्रों तक विपणन संघ के गोदामों से खाद के परिवहन हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ । मैं बैंक द्वारा जारी शर्तों के अनुसार निर्धारित संग्रहण केन्द्र से शाखा की समितियों के खाद केन्द्र तक खाद का परिवहन निम्नानुसार दरों पर करना चाहता हूँ ।

क्र	दूरी	परिवहन की दर प्रति टन लोडिंग/अनलोडिंग स्टाकिंग सहित	
		अंको में	शब्दों में
1	01 से 08 किमी		
2	01 से 25 किमी		
3	01 से 40 किमी		
4	01 से 60 किमी		
5	60 किमी से अधिक		

(1) एफ.डी.आर.कमाँक..दिनांक.................................राशि..............................
(2) रू. 1500.00 नकदी पुर्जा की क्रमांक ....दिनांक.................................(मूल प्रति संलग्न करें) |
(3) दर्शाए गए वाहन के कागजात की छायाप्रति |
(4) अन्य विवरण |

स्थान ....|
दिनांक ....|

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम..
पता..
....
....
मोबाइल नं.......................................

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

विषय :-खाद परिवहन हेतु निविदा शर्तें । वर्ष 2025-26 (अवधि 01-04-2025 से 31-03-2026 तक)

(1) परिवहनकर्ता के पास कम से कम दो वाहन (ट्रक) स्वयं के नाम पर होना आवश्यक है। प्रत्येक शाखा हेतु पृथक-पृथक नंबर का 02 वाहन होना आवश्यक होंगे ।वाहन के कागजात की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाये । निविदा फार्म के साथ चाही गई दस्तावेज (आर. सी. बुक, वाहन बीमा, फिटनेस, टैक्सपेपर अथवा व्हीकल पर्टिकुलर इत्यादि की छायाप्रति) संलग्न नहीं होने पर निविदा निरस्त कर दिया जावेगा।

(2) निविदा प्रस्तुत करते समय राशि 2,50,000.00 रुपये (अक्षरी दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) का एफ०डी०आर० जो कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के किसी भी शाखा का हो, संलग्न करे । एफ०डी०आर० मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के पक्ष में होगी एफ०डी०आर० की छायाप्रति मान्य नहीं होगी।

(3) स्वीकृत परिवहनकर्ता को धरोहर राशि के रूप में संबंधित बैंक की शाखा में अनुबंध दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि के लिए एफ०डी०आर० राशि 2.50,000.00 रूपये (अक्षरी दो लाख पचास हजार रुपये जमा करना होगा । **निविदा में अमानत राशि का एफ०डी०आर० पाए जाने के उपरान्त ही निविदा मान्य किया जाकर परिवहन दर निविदा कमेटी के समक्ष नोट किया जावेगा |**

(4) एफ०डी०आर० जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर की किसी भी शाखा कीमान्य होगी । अन्य बैंक काएफ०डी०आर० मान्य नहीं होगी |

(5) निर्धारित विपणन संघ के गोदाम खाद प्राप्त करने के पश्चात् सहकारी समितियों के खाद गोदाम / वितरण केन्द्रों तक खाद तत्कालसुरक्षित पहुँचाने की संपूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी | संग्रहण केन्द्र से खादसही मात्रा एवं सही बोरा में ही प्राप्त करेंगे (बोरा कटा फटा नहीं होना चाहिए) अन्यथाकी स्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों / धरोहर राशि सेकी जावेगी |

(6) प्राकृतिक आपदा जैसे हवा, पानी, बाढ़, तूफान, भूकम्प की स्थिति उत्पन्न होने पर खाद में हुई क्षति के लिए परिवहनकर्ता जिम्मेदार होंगे। इसके लिए जनरल बीमा राशि 2,50,000.00 रुपये (अक्षरी दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) का प्रस्तुत करना होगा ।(बीमा खाद का रहेगा)

(7) परिवहनकर्ता को खाद का समितिवार / केन्द्रवार रिलीज आर्डर बैंक की शाखा से प्राप्तकरना होगा, तत्पश्चात् रिलीज आर्डर की मात्रा अनुसार खाद सही हालत में निर्धारितस्थान में पहुंचाने की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

(8) परिवहन कार्य में शिथिलता अथवा शाखा से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर स्वीकृत निविदा निरस्त करने का अधिकार बैंक को होगा ।

(9) परिवहनकर्ता को 50.00 रूपए के स्टाम्प पेपर में खाद परिवहन का कार्यादेश/वर्क आर्डर मिलने के उपरान्त संबंधित शाखा प्रबंधक से एग्रीमेंट(अनुबंध) करना होगा | एग्रीमेंट का प्रारूप संलग्न है |

(10) परिवहनकर्ता द्वारा निविदा बंद लिफाफे में ही बैंक मुख्यालय के विपणन कक्ष में निविदा खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय के अंदर प्रस्तुत किया जावे। **जिस शाखा के लिये निविदा भरा जा रहा है उसका स्पष्ट उल्लेख फार्म के बाहरी लिफाफे में किया जावे।**

(11) परिवहन दरों में लोडिंग, अनलोडिंग एवं अन्य समस्त व्यय शामिल होगा ।

(12) परिवहनकर्ता का वाहन किसी कारण से (कागजात नहीं होने इत्यादि) लोड माल जब्त होने पर तुरंत वापसी कराने की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी । अपूर्ण कागजात के लिए विभाग / समिति जवाबदार नहीं होगा। इसके लिए बैंक एवं समिति का कोई दायित्व नहीं होगा।

(13) आयकर अधिनियम अ़नुसार नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर कटौती के उपरांत ही परिवहनकर्ता को परिवहन राशि भुगतान किया जावेगा ।

(14) बैंक को अधिकार होगा कि निविदा अवधि समाप्त होने तथा नई निविदा स्वीकृत नहींहोने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आगामी वर्ष 31-03-2026 के बाद भी समान दरोंपर परिवहन कराया जा सकता है। परि़वहनकर्ता इसके लिए बाध्य होगा ।

(15) बैंक को यह अधिकार होगा कि समान दर पर आवश्यकतानुसार किसी भी अन्यपरिवहनकर्ता से परिवहन कार्य कराया जा सकता है ।

(16) परिवहनकर्ता आदेश मिलने पर समयावधि में परिवहन नहीं करता है तो 24 घंटे की सूचना के बाद रिस्ककास्ट के आधार पर किसी भी दर में परिवहन कराया जावेगा तथा अंतर की राशि उनकी धरोहर राशि से वसूल किया जावेगा ।

(17) रासायनिक खाद का व्यवसाय करने वाले एवं ब्लैक लिस्टेट इस टेंडर में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(18) समय-समय पर शासन एवं बैंक द्वारा निर्धारित किये जाने वाले आदेशित शर्तों एवं आदेशों को मान्य करने के लिए परिवहकर्ता बाध्य रहेगा ।

(19) खाद का भंडारण इश्यू केन्द्र से सीधे समिति / खाद केन्द्र तक उसी दिवस में भंडारण किया जाना अनिवार्य रहेगा। अन्यथा की स्थिति में परिवहनकर्ता को 10,000.00 रुपये (अक्षरी दस हजार रूपये मात्र) तक दंडित किया जा सकता है. जिसके लिए परिवहनकर्ता स्वमेव जिम्मेदार रहेंगे ।

(20) सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगा एक बार निविदा खोलने के पश्चात निविदाकार के द्वारा दर संबंधी प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी आवेदन पर विचार मान्य नहीं होगा।

(21) निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जायेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्तों एवं कार्य पद्धति, परिवहन की दूरियां आदि समझ ली है और उन्हें स्वीकार कर लिया है।

(22) निविदा फार्म में निविदाकार द्वारा दी जाने वाली दरें निविदा प्रपत्र में दिये गए प्रारूप अनुसार होनी चाहिए। सभी दूरियों हेतु दरें पृथक-पृथक दर्शाए गए स्थान पर अंकों एवं शब्दों में अंकित की जाये।

(23) खाद परिवहन के लिए अनुबंध संबंधित शाखाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकमर्यादित, जगदलपुर के साथ करना होगा ।

(24) परिवहनकर्ता क़ा यह उत्तरदायित्व होगा कि खाद का उठाव करते समय खाद की बोरियों में निर्माता कंपनी के सीलयुक्त बोरियां अच्छी हालत में हैं , वजन में निर्धारित मात्रा 50/45 किलो ग्राम की हैं, का परिवहन कर समिति को प्रदाय किया जायेगा।

(25) टेंडर स्वीकृत / अस्वीकृत निगोसियेशन करने का पूरा अधिकार बैंक को होगा ।

(26) निविदा की प्रस्तुत दरों में सभी प्रकार के कर (TAX) यथा- टीडीएस वस्तु एवं सेवाकरव अन्य कर इत्यादि अतिरिक्त होंगे एवं इन करों को जमा करने का संपूर्ण दायित्वनियमानुसार अधिकृत परिवहनकर्ता एवं बैंक को जो राशि एकत्र करेगा का होगा।

(27) निर्धारित संख्या से कम निविदा पाए जाने पर निविदा कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा ।

(28) किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जगदलपुर होगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

// अनुबंध पत्र //

(50.00 रुपये स्टाम्प पर)

मैं...आत्मज..निवासी..............
....तहसील...................................जिला....................
का रहने वाला हूँ जो कि, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर की शाखा...से संबद्ध सहकारी समितियों के खाद गोदामों /वितरण केन्द्रों मेंविपणन संघ के गोदामों से परिवहन कार्य हेतु आज दिनांक..को निम्नानुसार लिखे शर्तों अनुसार अनुबंध का निष्पादन करता हूँ :-

01. यह कि मेरे पास वाहन (ट्रक) की संख्या 02 है, जिसका नंबर क्रमशः (1)..(2)..है | जिसका उपयोग प्राथमिकता के रूप में बैंक के निर्देशानुसार खाद के परिवहन में करूंगा ।

02. यह कि बैंक द्वारा परिवहन हेतु स्वीकृति दर एवं अवधि..से...................................तक है, जो मुझे मान्य है ।

03. यह कि परिवहन की शर्तों के अनुसार नियमों के अनुरूप मेरे द्वारा धरोहर राशि के रूप में राशि 2,50,000.00 रुपये (अक्षरी दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) दिनांक..को बैंक की मुख्यालय /शाखा ....में जमा किया गया है ।

04. यह कि परिवहन का कार्य बैंक के निर्देशानुसार मेरे द्वारा पूर्ण प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा, यदि किन्ही कारणों से मेरे द्वारा खाद परिवहन के कार्य में चूक की जाती है या मैं वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा, तो बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे परिवहन का कार्य अन्य साधनों से करा लेवें और इसमें बैंक का जो भी राशि व्यय होगा वह मेरे द्वारा जमा की गई धरोहर / अमानत राशि में समायोजित कर लेवें ।

05. यह कि मेरे द्वारां खाद विपणन संघ के निर्धारित गोदाम से प्राप्त कर सहकारी समितियों के गोदामों / खाद वितरण केन्द्र में 24 घंटे के अंदर पहुंचाया जावेगा । यदि इसमें किसी प्रकार की चूक हुई तो बैंक को अपनी इच्छानुसार व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ऐसी स्थिति में होने वाला व्यय मुझसे वसूल करने का पूर्ण अधिकार बैंक का होगा ।

06. यह कि प्राकृतिक विपदा जैसे हवा, पानी, बाढ़, तूफान या भूकम्प के कारण यदि - खाद में कोई हानि होती/पहुँचती है तो पूर्ण नुकसानी की अदायगी की जिम्मेदारी मेरी होगी । **मैने सुरक्षा के बतौर तीन लाख रूपये का बीमा भी करा दिया है, जिसके इंश्योरेंस पॉलिसी की छायाप्रति संलग्न है ।**

07. यह कि इस अनुबंध पत्र के निष्पादन एवं दिए गए अनुबंध की अवधि में स्वीकृति निविदा को रद्द कर अनुबंध पत्र को अपात्र कभी भी कर सकते है, का अधिकार बैंक को होगा|

08. यह कि खाद सामग्री लोड होने के बाद यदि किन्हीं कारणों से खाद जप्त होती है तो माल वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी|

09. यह कि परिवहंन के लिए बैंक / समिति द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश मुझे मान्यरहेंगे ।

10. यह कि आयकर एवं अन्य देय कर की कटौती उपरान्त बैंक द्वारा किया गया भुगतान मुझे मान्य होगा ।

11. यह कि मेरे द्वारा पूर्ण परिवहन कार्य जो निर्धारित अवधि में किया जाना है, स्वयं किया जावेगा तथा निविदा एवं अनुबंध पत्र के विपरीत कार्य का हस्तांतरण अन्य को नहीं किया जावेगा। यदि मेरे द्वारा निर्धारित शर्तों का अनादर किया जाता है तो उचित निर्णय लेने का अधिकार बैंक को होगा|

12. बैंक को अधिकार होगा कि निविदा अवधि समाप्त होने पर आगामी वर्ष में भी समान दरपर परिवहन कराया जा सकता है। परिवहनकर्ता इसके लिए बाध्य होगा ।

अतः उपरोक्त शर्तों को स्वेच्छा पूर्वक, स्वस्थचित्त से बगैर किसी दिगर के दबाव या बहकावे में आए मैं तहरीर कर निष्पादित एवं हस्ताक्षरित गवाहों की उपस्थिति में कर दिया हूँ ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आये ।

दिनांक :-..

स्थान :-..

परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर

गवाहन :-

01...

02...

अनुबंधकर्ता/शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर